**2. परिवाद का आदर्श प्ररुप**

**उपाबन्ध-III**

परिवाद का आदर्श प्ररुप

परिवादी के नाम

उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग ..................................................

उपभोक्ता परिवाद सं. ......................... सन् ...................................

**अबक** (वर्णन एवम् निवास स्थान को जोड़ें) परिवादी / परिवादीगण

**बनाम**

**कखग** (वर्णन एवम् निवास स्थान को जोड़ें) विरोधी पक्षकार/ विरोधी पक्षकारगण सेवा में

राज्य आयोग के आदरणीय अध्यक्ष और साथीगण।

श्रीमान जी

ऊपर नामित किये गये परिवादी / परिवादीगण निम्नलिखित रूप में अतिसदर पूर्वक निवेदन करता है/करते हैं:

1. परिवाद, विशिष्टियों, स्थान, तारीख से सम्बन्धित सभी तथ्यों का वर्णन किया जाना होता है।
2. स्थान पर वाद हेतुक से सम्बन्धित ब्यौरा जहाँ परिवाद दाखिल किया जा रहा है।
3. अधिकारिता एवम् माल/सेवाओं का मूल्य तथा प्रतिकर मूल्य से सम्बन्धित ब्यौरा दिया जाता है।
4. दावाकृत होने वाले अनुतोष/अनुतोषों सहित प्रार्थना खण्ड का विवरण दिया जाना है।

परिवादी/परिवादीगण

व्यक्तिगत तौर पर या जरिये अधिवक्ता

स्थान ...............................

तारीख ...............................

सत्यापन

मैं/हम ...................................... (परिवादी / परिवादीगण) पुत्र / पुत्रगण ....................निवासी .. ..................... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा एवम् कथन करता हूँ / करते हैं कि ऊपर रिवाद की अन्तर्वस्तुएं / विशिष्टिया सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सत्य है। उसमें कोई भी बात मिथ्या नहीं है और न ही उसमें कोई भी बात गलत वर्णित/छिपायी गयी है।

..................... में इस तारीख ....................को सत्यापित किया।

शपथकर्ता

उपबन्ध